



क्र./ शिक्षक-शिक्षा / 30-1 / बी.एड. / एम.एड. / प्रवेश / विभागीय / 20/2018 / 1103 रायपुर, दिनांक 20.06.2018

प्रति,

1. प्राचार्य,

शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर

✓ 2. प्राचार्य,

शासकीय शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर

विषय :- बी.एड. (विभागीय) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2018-20 में प्रवेश बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत बी.एड.(विभागीय) 2018-20 में प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

1. आप अपने कार्यक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' संवर्गों के शिक्षकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 22.05.2018 तक प्राप्त करेंगे। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) अपने आवेदन को यथास्थिति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। इन शिक्षकों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत (जो लागू हो) से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। तीनों विभाग के अभ्यर्थी बी.एड प्रशिक्षण के लिए दिनांक 15.04.2018 से दिनांक 01.05.2018 तक SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में निर्धारित प्रारूप में Online आवेदन भरेंगे। इस भरे हुए आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त कर आवेदन के हार्ड कापी में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर अपने प्राचार्य से अग्रेषित कराकर दिनांक 08.05.2018 तक अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' के शिक्षकों से 08.05.2018 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेंगे।

प्राप्त आवेदनों को पद व वरिष्ठता के आधार पर दोनों संवर्गों की पृथक-पृथक वरिष्ठता सूची तैयार कर नामीनल रोल सहित संबंधित शिक्षा महाविद्यालय को भेजेंगे। शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत अभ्यर्थी अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन को अग्रेषित कराकर संचालक एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।

आप जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में तत्काल पत्र द्वारा सूचित करें। उन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे बी.एड.प्रवेश प्रक्रिया 2018-20 हेतु समय पर सूचना प्रसारित करें तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें। Online आवेदन पत्र तथा निर्देश एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> पर भी उपलब्ध है इसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी को दें तथा सूचना बोर्ड पर भी चस्पा करें। एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम के अनुसार चयन समिति करेगी।

उपरोक्तानुसार चयन समिति गठित करें तथा चयन की कार्यवाही पूरा कर चयन सूची दिनांक 20.06.2018 तक जारी करें तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को दें जिससे

वे संबंधित को निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु कार्यमुक्त कर सकें, ताकि अध्यापन कार्य 01.07.2018 से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो। सूची जारी करने के दिवस ही चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची की प्रति परिषद् को आवश्यक रूप से भेजे तथा ई-मेल scertco@gmail.com पर ई-मेल करें ताकि इसे एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

2. बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है—

2.1 आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)/प्रधानपाठक, उच्च प्राथमिक शाला/उ.श्रेणी शिक्षक/शिक्षक (पंचायत)/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) जो NCTE के नार्म्स अनुसार अर्थात् 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता रखते हैं। इंजीनियरिंग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग के लिए इस न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बी.एड. पात्रता के लिए स्नातक स्तर की उपाधि मान्य हैं, परन्तु स्नातक में प्राप्तांक निर्धारित प्राप्तांक से कम होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांक, यदि वह निर्धारित प्राप्तांक अथवा इससे अधिक है, के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। चयन हेतु पद का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा —

1. स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' व 'टी' के लिए — व्याख्याता/प्रधानपाठक उच्च प्राथमिक शाला/उच्च श्रेणी शिक्षक/ प्रधानपाठक प्राथमिक शाला/ सहायक शिक्षक।
2. पंचायत एवं नगरीय निकाय के लिए — व्याख्याता (पंचायत)/शिक्षक (पंचायत)/ सहायक शिक्षक (पंचायत)।

2.2 उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षक जो कि निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण है तथा डी.एड. प्रशिक्षित हों तो उन्हें भी बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता होगी।

2.3 प्रवेश हेतु चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा। वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।

2.4 परीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे।

2.5 अभ्यर्थी की अधिकतम आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।

2.6 बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम के सीटों को स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है।

2.7 किसी एक विभाग की सीटें रिक्त रहती हैं तो दूसरे विभाग के शिक्षकों से सीटों को परस्पर निम्नानुसार भरा जायेगा—

- I. किसी विभाग की सीटें रिक्त रहने पर उसी विभाग से पद वरिष्ठता से सीटें भरी जावेगी उसके पश्चात् भी सीटें रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' तथा पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय निकाय संवर्ग के क्रम से भरी जाएगी।

जैसे स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' के व्याख्याता की सीट रिक्त रहने पर उसी विभाग के प्रधानपाठक(उच्च प्राथ.शा./उ.श्रेणी शिक्षक से भरी जाएगी। इसके बाद सीट रिक्त रहने पर प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)/सहायक शिक्षक से भरी जायेगी। विभाग की सीटें इस प्रक्रिया के बाद भी रिक्त रहने पर ये सीटें स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' से इसी क्रम में भरी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' की सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' से इसी क्रम में भरी जाएगी।

II. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सीटें परिवर्तन करने के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो ये सीटें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय निकाय संवर्ग के व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) सहायक शिक्षक (पंचायत) से पद वरिष्ठता क्रम में भरी जायेगी।

III. समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति आदेश की छायाप्रति (आदेश की प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति में नियुक्ति एवं पदोन्नति आदेश का उल्लेख सेवापुस्तिका के जिन पृष्ठों में हो, की छायाप्रति) तथा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो, जमा करना होगा अन्यथा उनके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।

2.8 विभागीय अभ्यर्थियों से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

2.9 शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन फार्म भरते समय दी गई प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति व वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक संबंधी जानकारी व वास्तविक दस्तावेजों पर दी गई जानकारी में भिन्नता होने पर ऐसे शिक्षकों के आवेदन को महाविद्यालय अमान्य कर सकती है।

3. अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेकलिस्ट -

- अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।
- अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई जांच/आपराधिक मामला/न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि से संबंधित सेवा पुस्तिका में अंकित पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न नहीं करने पर आवेदन को अग्रेषित न करें।
- संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षाकर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी एक में अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा अनु.जाति./अनु.जन.जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर ही आवेदन का अग्रेषण करें। इंजीनियरिंग के स्नातको हेतु 55 प्रतिशत तथा

इंजीनियरिंग में आरक्षित वर्ग हेतु 50 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होंगे। छूट के लिए SC/ST तथा OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग को जाति प्रमाण पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

- इस पाठ्यक्रम के लिए एक विद्यालय/संस्था से एक ही शिक्षक (वरिष्ठता/पद वरिष्ठता के आधार पर) के आवेदन को अग्रेषित करें।

- चयन के समय यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन का अग्रेषण चेक लिस्ट के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। अभ्यर्थी उपरोक्त जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से भी प्राप्त कर सकते हैं।

5. दोनों शिक्षा महाविद्यालयों में सीटों का बँटवारा निम्नानुसार है :-

क्र	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' (स्कूल शिक्षा विभाग)		स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)		पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग		योग	सीधी भर्ती के सीटें	कुल
		व्याख्याता	प्र.पाठक.उच्च प्राथमिक शाला / उ.श्रे.शि. / प्र.पाठक प्राथमिक शाला / सहायक शिक्षक	व्याख्याता	प्र.पाठक . उच्च प्राथमिक शाला / उ.श्रे.शि. / प्र. पाठक प्राथमिक शाला / सहायक शिक्षक	व्याख्याता (पंचायत)	शिक्षक (पंचायत) / सहायक शिक्षक (पंचायत)			
1	शास. उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर	14	13	14	12	12	10	75	75	150
2	शास. शिक्षक शिक्षा महा.वि.रायपुर	14	13	14	12	12	10	75	75	150

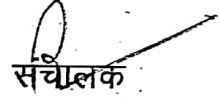
- शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE) बिलासपुर व शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में बी.एड. (विभागीय) के चयनित छात्राध्यापकों का वेतन उनके पूर्व पदस्थ संस्था से ही आहरित की जाएगी।
- प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक अपने आवेदन संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.के माध्यम से ही संबंधित शिक्षा महाविद्यालयों में प्रस्तुत करेंगे।
- प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

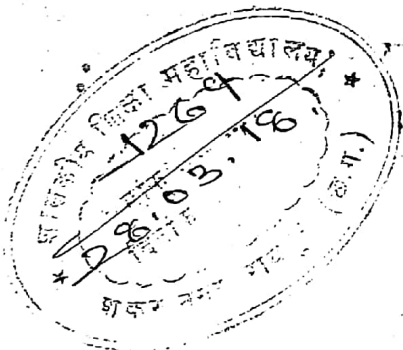
(सुधीर कुमार अग्रवाल)
संचालक

पृ.क्र./शिक्षक-शिक्षा/30-1/बी.एड./एम.एड./प्रवेश/विभागीय/20/2018/1/04 रायपुर, दिनांक 24/02/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
5. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
6. संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
7. कुलसचिव, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर ।


संचालक





कार्यालय प्राचार्य, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

शंकर नगर रायपुर, (छ0ग0) पिनकोड-492007

☎ - 0771-2443796, FAX - 0771-2443796, Website- www.cteraipur.org e-mail id - ctechhattisgarh@gmail.com

क्र/बी.एड. (विभागीय)/प्रवेश/2018-20/1480

रायपुर दिनांक : 28.03.2018

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को उनके पत्र क्र./ शिक्षक-शिक्षा/30-01/बी.एड./एम.एड./प्रवेश विभागीय/20/2018/1103 रायपुर दिनांक 24.03.2018 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. संचालक, नगरीय नियोजन विभाग, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला- कबीरधाम/कांकेर/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/बलौदाबाजार/ बालोद/गरियाबंद/सुकमा/बीजापुर/कोण्डागांव/नारायणपुर/महासमुंद/रायपुर/दुर्ग/धमतरी/राजनांदगांव/बेमेतरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला- कबीरधाम/कांकेर/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/बलौदाबाजार/ बालोद/गरियाबंद/सुकमा/बीजापुर/कोण्डागांव/नारायणपुर/महासमुंद/रायपुर/दुर्ग/धमतरी/राजनांदगांव/बेमेतरा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कबीरधाम/कांकेर/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/बलौदाबाजार/बालोद/गरियाबंद/सुकमा/बीजापुर/कोण्डागांव/नारायणपुर/महासमुंद/रायपुर/दुर्ग/धमतरी/राजनांदगांव/बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. प्राचार्य, डाइट, रायपुर/महासमुंद/नगरी/बेमेतरा/खैरागढ़/बी.टी.ई. डोंगरगांव/कबीरधाम/कांकेर/दंतेवाड़ा/बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. सूचना केन्द्र प्रभारी, श्रीमती विजयलक्ष्मी, सहायक प्राध्यापक (स्थानीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वेब पोर्टल में अपलोड करने हेतु श्री आलोक शर्मा, सहायक प्राध्यापक (स्थानीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु महाविद्यालय के भृत्य श्री केशबो हियाल को पालनार्थ।

कृपया संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का संलग्न पत्र क्रमांक शिक्षक-शिक्षा/30-01/बी.एड./एम.एड./प्रवेश विभागीय/20/2018-20/1103 रायपुर दिनांक 24.03.2018 का अवलोकन करें एवं प्रदत्त निर्देश के अनुरूप बी.एड. विभागीय प्रशिक्षण हेतु स्कूल शिक्षा विभाग ई एवं स्कूल शिक्षा विभाग टी.संवर्गों के अभ्यर्थियों से उनके संस्था प्रमुख के माध्यम से दिनांक 08.05.2018 तक आवेदन प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी अपनी अनुशंसा सहित इस महाविद्यालय को दिनांक 22.05.2018 तक अनिवार्य रूप से भेजें। डाइट/बी.टी.आई. में कार्यरत व्याख्याता/शिक्षक/शि.क.वर्ग-01, वर्ग-02, वर्ग-03 भी अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन पत्र अग्रेषित करा कर संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से संबंधित शिक्षा महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

पंचायत विभाग के व्याख्याता पंचायत/शिक्षक पंचायत/सहायक शिक्षक पंचायत अपने आवेदन संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करा कर ही जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 08.05.2018 तक प्राप्त कर संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में निर्धारित तिथि 22.05.2018 तक प्रस्तुत करें।

आवेदन तथा निर्देश एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> एवं शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर की वेबसाइट www.cteraipur.org पर भी उपलब्ध है। दिनांक 22.05.2018 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना वापसी डाक से भेजें।



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
शंकर नगर रायपुर, (छ.ग.) पिनकोड-492007

- 0771-2443796, FAX - 0771-2443796, Website- www.cteraipur.org e-mail id - ctechhattisgarh@gmail.com

संलग्न - बी.एड. विभागीय प्रवेश हेतु संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर (छ.ग.) का उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं प्रवेश नियम की छायाप्रति।

विशेष टीप :-

1. बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (विभागीय) में उपरोक्त प्रवेश प्रक्रिया शासन व संबंधित विश्वविद्यालय के आदेशों/निर्देशों के अधीन होगी।
2. संलग्न प्रवेश नियम के बिन्दु क्रमांक 03 में अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेक लिस्ट में दर्शाये 07 बिन्दुओं के आधार पर पात्र आवेदकों की पात्रता सुनिश्चित करें। गलत आवेदन अग्रेषण के फलस्वरूप यदि अपात्र आवेदकों का चयन होता है, तो अग्रेषण अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 22.05.2018 तक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 22.05.2018 तक आवेदन जमा न करने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा संबंधित जिले के आवेदक प्रवेश से वंचित रह जायेंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी।

(डॉ. योगेश शिवहरे)

प्राचार्य

शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)